मिसल नम्बर 101/2019
निर्णय दिनांक 27-09-2019

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– कृष्ण सिंह (RTS)
मिसल नम्बर :– **101/2019**

सरकार

बनाम

श्रीमती ईमरती देवी पत्नि स्व0 श्री श्योचन्द जाति मेघवाल निवासी त्यौन्दा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

..................गैर सायल

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट–1956)

दिनांक :– **27–09–2019**

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर गैर सायल स्वयं हाजिर। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का त्यौन्दा के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि राजस्व ग्राम **अशोक नगर** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 395 रकबा 0.98 हेक्टेयर किस्म बंजड़–2 के रकबा 0.98 हेक्टेयर पर व खसरा नम्बर 396 रकबा 0.15 हेक्टेयर किस्म बंजड़–2 के रकबा 0.15 हेक्टेयर पर गैर सायल श्रीमती ईमरती देवी पत्नि स्व0 श्री श्योचन्द जाति मेघवाल निवासी त्यौन्दा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने फसल बाजरा काश्त कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है जिसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के गैर सायल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस की ताईद में गैर सायल ने जबाब नोटिस इस आशय का पेश किया कि ग्राम अशोक नगर स्थित भूमि खसरा नम्बर 395, 396 रकबा 0.98 हे0, 0.15 हे0 भूमि पर प्रार्थीया द्वारा बाजरा काश्त कर अतिक्रमण करना बताया गया है जबकि उक्त भूमि पर प्रार्थीया का करीब 60 वर्षो से कब्जा है और कोई नया अतिक्रमण नहीं है। उक्त भूमि पर प्रार्थीया कृषि का कार्य कर अपने परिवार का भरण–पोषण करती है और उक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थीया द्वारा समय–समय पर पैनेल्टी की रसीद भी प्राप्त कर रूपये जमा करवाती आई है। उक्त भूमि की बाबत तहसीलदार साहब खेतड़ी द्वारा दिनांक 23–08–1990, 16–02–1996, 01–03–2006, 20–08–2006, 25–02–2009, 12–09–2017, 12–09–2018 में भी नोटिस आये है जिनका जबाब भी प्रार्थीया ने दिया है। इससे यह भी साबित होता है कि प्रार्थीया का काफी पुराना कब्जा है। पुराना कब्जा होने के आधार पर भूमि नियमन योग्य है।

तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Scanned by CamScanner

मिसल नम्बर 101/2019
निर्णय दिनांक 27–09–2019

अतः जबाब नोटिस पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि की बाबत नियमन की सिफारिश किये जाने की कृपा करें।

गैर सायल को सुना गया। गैर सायल ने प्रश्नगत राजकीय भूमि पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण की बाबत पुराना कब्जा होने की ताईद में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं क़िये है।

पत्रावली पर उपलब्ध जबाब नोटिस धारा 91 व पटवारी हल्का **त्यौन्दा** की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल श्रीमती ईमरती देवी पत्नि स्व0 श्री श्योचन्द जाति मेघवाल निवासी त्यौन्दा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने राजस्व ग्राम **अशोक नगर** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 395 रकबा 0.98 हेक्टेयर किस्म बंजड़–2 के रकबा 0.98 हेक्टेयर पर व खसरा नम्बर 396 रकबा 0.15 हेक्टेयर किस्म बंजड़–2 के रकबा 0.15 हेक्टेयर पर फसल बाजरा काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायल को राजकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से अपने अधिभोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमियां राजकीय प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अतः पटवारी हल्का काकंरिया की रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–: आदेश :–

अतः प्रकरण में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का **त्यौन्दा** के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर राजस्व ग्राम **अशोक नगर** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 395 रकबा 0.98 हेक्टेयर किस्म बंजड़–2 के रकबा 0.98 हेक्टेयर पर से व खसरा नम्बर 396 रकबा 0.15 हेक्टेयर किस्म बंजड़–2 के रकबा 0.15 हेक्टेयर पर से **बेदखल** किया जाता है तथा गैर सायल से शरह लगान 01 रूपये का 50 गुणा = 50/- रूपये तावान कायम व वसूली का व **फसल बाजरा को राजहक में जप्त कर निलाम किये जाने का आदेश दिया जाता है।** तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का **त्यौन्दा** से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायल की राजस्व ग्राम **अशोक नगर** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 395 रकबा 0.98 हेक्टेयर किस्म बंजड़–2 के रकबा 0.98 हेक्टेयर पर से व खसरा नम्बर 396 रकबा 0.15 हेक्टेयर किस्म बंजड़–2 के रकबा 0.15 हेक्टेयर पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27–09–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुंझुनूं (राज.)

(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार खेतड़ी
तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राज.)

Scanned by CamScanner